

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर अहकाम हुकम की तारीख में जारी हुए</p>
<p>24 ⁵/₂₃</p>	<p>पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी ^{शिवर} द्वारे/ मीटिंग/ V.C. ने व्यस्त होने से पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक... 12/7/23 को पेश हो।</p>	
<p>12 ⁷/₂₃</p>	<p>पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी ^{जयपुर} द्वारे/ मीटिंग/ V.C. ने व्यस्त होने से पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक... 12/9/23 को पेश हो।</p>	
<p>13 ⁹/₂₃</p>	<p>पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी द्वारे/ मीटिंग/ V.C. ने व्यस्त होने से पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक... 8/11/23 को पेश हो।</p>	
<p>8/10 <u>23</u></p>	<p>पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी द्वारे/ मीटिंग/ V.C. ने व्यस्त होने से पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 3/11/24 को पेश हो।</p>	
<p>31/1/24</p>	<p>पत्रावली पेश। वकील पक्षकारान उपर पत्रावली का भवलोकरन किया गया। वकील परिवारी द्वारा दिनांक - 19/07/2021 को प्रति.स. 1 देवा की मृत्यु होने की सूचना</p>	

अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

हुकम या कार्यवाही मय इमिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

श्रीदशिका पर अंकित की हुई है। उक्त सूचना को लगभग 2 वर्ष 5 माह का समय चली ही चुका है। वकील वारी द्वारा तुम्ही लम्बी भवाये चली ही जाने पर भी इस वाक्य कोर्ट का मु. बनाये जाने का प्रार्थन पेश नही किया गया है। वकील वारी को दिनांक- 29/03/2023 को अंतिम अवसर दिया गया था, फिर भी प्रार्थन पेश नही किया गया। आज भी वकील वारी द्वारा आगामी पेशी पर प्रार्थन पेश करने का कथन किया गया। न्यायालय उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर अवसर देना उचित नही समझता है। वकील वारीगण (वारीगण) द्वारा पर्याप्त अवसर देने पर भी न्यायालय आदेश की पालना नही की गई है। अतः दत्ता भद्रम तकमील में खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल नुम्बर की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सेरे इफलास युताया गया।

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली (बून्दी)